



**THE**  
**JHARKHAND GAZETTE**  
**EXTRAORDINARY**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 795

**3 Kartik, 1938 (S)**  
**Ranchi, Wednesday, 25<sup>th</sup> October, 2017**

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----  
**NOTIFICATION**

25<sup>th</sup> October, 2017

**S.O. No. 115 Dated- 25<sup>th</sup> October, 2017--** In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017.
- (2) This notification shall be deemed to be effective from 13th October, 2017.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, –

- (i) in rule 3, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-  
“(3A)Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has been granted certificate of registration under sub-rule (1) of rule 10 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in **FORM GST CMP-02**, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before the 31<sup>st</sup> day of March, 2018, and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the day on which such person commences to pay tax under section 10:

Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in **FORM GST TRAN-1** after the statement in **FORM GST ITC-03** has been furnished.”;

- (ii) after rule 46, the following rule shall be inserted, namely:-



4B. Deemed exports							
							”;

(viii) in **FORM GSTR-4**, after instruction no.9, the following shall be inserted, namely:-

“10. For the tax periods July, 2017 to September, 2017 and October, 2017 to December, 2017, serial 4A of Table 4 shall not be furnished.”

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]

By the order of the Governor of Jharkhand,

**K. K. Khandelwal,**

Principal Secretary-cum Commissioner.

Note:- The principal rules were published in the Jharkhand Gazette vide S.O. No. 28/2017-State Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2017 and last amended vide S.O No. 96 dated 17 October, 2017.

## वाणिज्य-कर विभाग

-----  
अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2017

**एस० ओ०- 115 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017--** राज्य सरकार, झारखंड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखंड माल और सेवाकर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) यह अधिसूचना 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखंड माल और सेवाकर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 3 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल करता है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में उस दिन, जिसको ऐसा व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना आरंभ करता है, से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा :

परंतु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।”;

(ii) नियम 46 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--  
“46क. पूर्ति का बीजक-सह-बिल- नियम 46 या नियम 49 या नियम 54 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी गैररजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय मालों के साथ छूट प्राप्त मालों या सेवाओं की पूर्ति करता है, तो वह ऐसी पूर्तियों के लिए, एकल “पूर्ति का बीजक-सह-बिल” जारी कर सकेगा ।”;



(vii) प्ररूप जीएसटीआर-1क में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“4 एसईजेड को की गई शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर			उपकर
	सं०	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	कर रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8
4क. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां							
4ख. माना गया निर्यात							
” ;							

(viii) प्ररूप जीएसटी आर-4 में, अनुदेश सं० 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर अवधि के लिए सारणी 4 की क्रम सं० 4क प्रस्तुत नहीं की जाएगी"।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/07/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,  
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

**टिप्पण :-** मूल अधिसूचना, झारखण्ड राजपत्र, असाधारण, में एस० ओ० 28, तारीख 20 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा उनमें अन्तिम बार एस० ओ० 96 तारीख 17 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था ।

-----